सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 470 राँची, शुक्रवार, 13 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 जून, 2019

संख्या-5/आरोप-1-97/2018 का.-4481-- श्री मनमोहन राय (कोटि क्रमांक-211/03, गृह जिला-राँची), सम्प्रति- सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, के जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, राँची के पद पर कार्यावधि में परिवादी श्री रविन्द्र नाथ भगत द्वारा आरक्षी अधीक्षक, निगरानी विभाग, राँची के समक्ष एक परिवाद समर्पित किया गया, जिसमें श्री राय के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद सं0-3(एम) 97-98 में श्री भगत एवं विपक्ष के सहमति के बावजूद कार्रवाई (श्री भगत के विरूद्ध निर्गत वारंट की वापसी) करने हेतु रिश्वत की माँग करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री भगत के आवेदन के आधार पर पटना निगरानी थाना कांड सं०-13/2000, दिनांक 08.05.2000, धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा निगरानी ब्यूरो धावा दल द्वारा श्री राय को अपने चपरासी विनोदानंद झा के माध्यम से 1000/- रूपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उक्त कांड में श्री राय के विरूद्ध विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-65/जे०, दिनांक 09.12.2003 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) के अधीन अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।

विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2097, दिनांक 21.07.2018 द्वारा श्री राय के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०-13/2000, दिनांक 08.05.2000, सम्प्रति विशेष वाद सं०-3/2000 में माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), राँची द्वारा दिनांक 08.06.2015 को पारित न्यायादेश की

प्रति उपलब्ध करायी, जिसमें श्री राय के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7 के तहत् दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास एवं धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(D) के तहत् दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा श्री राय को दंडित किये जाने के आलोक में पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अन्तर्गत इनकी समूची पेंशन रोकने के बिन्दु पर इनसे कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-1135, दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री राय से कारण पृच्छा की माँग की गई।

श्री राय के पत्र, दिनांक 25.05.2019 द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा अंकित किया गया कि इनके द्वारा निम्न न्यायालय के न्यायादेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में Cr. App. (S.J.) No. 401/2015 दायर किया गया है एवं उक्त अपील में इन्हें जमानत प्रदान की गई है तथा इनके द्वारा पेंशन रोकने की कार्रवाई माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के अगले आदेश द्वारा ही प्रभावित एवं विचारणीय होने का तर्क देते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

श्री राय द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं इनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर Cr. App. (S.J.) No. 401/2015 की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि वाद सं० Cr. App. (S.J.) No 401/2015 में दिनांक 02.07.2015 के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनमोहन राय (कोटि क्रमांक-211/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति- सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अन्तर्गत इनकी **समूची पेंशन पर रोक का दण्ड** अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 470 -- 50